सोशल मीडिया शिकायत के लिये अपीलीय समितियों का प्रस्ताव

प्रिलिम्स के लिये:

शिकायत अपीलीय समिति, आईटी नियम, 2021।

मेन्स के लिये:

आईटी नियम, 2021 में संशोधन की आवश्यकता।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपीलों की सुनवाई के लिये **'शिकायत अपीलीय समितियों'** के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।

शिकायत अपीलीय समितियाँ:

- **परिचय:**
  - आईटी नियम, 2021 में प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा एक या एक से अधिक 'शिकायत अपीलीय समितियों' का गठन किया जाएगा।
  - अपीलीय समितियाँ सोशल मीडिया मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध प्रयोक्ताओं की अपीलों पर कार्रवाई करेंगी।
  - इस समिति में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य शामिल होंगे।
- **कार्य:**
  - सोशल मीडिया नेटवर्क द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी से सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायत अपील समिति में अपील कर सकता है।
  - शिकायत अपील समिति ऐसी अपील पर तेज़ी से कार्रवाई करेगी और अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 कैलेंडर दिनों के भीतर अंतिम रूप से अपील का निपटान करने का प्रयास करेगी।
  - शिकायत अपील समिति द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का अनुपालन संबंधित मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

शिकायत अपीलीय समितियों की आवश्यकता:

- वर्ष 2021 में 'कंटेंट मॉडरेशन एंड टेकडाउन' को लेकर सरकार और **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म** के बीच कई गतिरोध उत्पन्न हुए।
  - सरकारी आदेशों के बाद किसान आंदोलन के समर्थन में संदेश पोस्ट करने वाले समाचार वेबसाइटों, अभिनेताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और ब्लॉगर्स के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया।
- जैसे-जैसे भारत में इंटरनेट का तेज़ी से विस्तार हो रहा है, सरकारी नीतियों से संबंधित नए मुद्दे भी सामने आते रहते हैं। अतः ऐसे मुद्दों से निपटने के लिये **कमियों को दूर करना आवश्यक** हो जाता है।

आईटी नियम, 2021:

- **परिचय:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) **नियम सरकार द्वारा 2021 में अधिसूचित किये गए थे।**
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक अधिसूचित सीमा से ऊपर सोशल मीडिया मध्यस्थों को **महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (SSMI)** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - SSMI को अनुपालन करमियों को **नियुक्त करने, सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने और सामग्री की पहचान के**

लयि प्रौद्योगकिी-आधारति उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है।

- सभी मध्यस्थों को उपयोगकर्ताओं या पीड़तिों की शकियतों के समाधान के लयि **शकियत नविारण तंत्र प्रदान करना आवश्यक है।**
- समाचार और समसामयकि मामलों की सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशकों के साथ-साथ 'क्यूरेटेड ऑडयिो-वज़ुिअल' सामग्री के वनियिमन के लयि एक रूपरेखा नरि्धारति की है।
- प्रकाशकों के लयि **स्व-नयिमन के वभिन्नि स्तरों के साथ एक त्रि-स्तरीय शकियत नविारण तंत्र** नरि्धारति कयिा गया है।

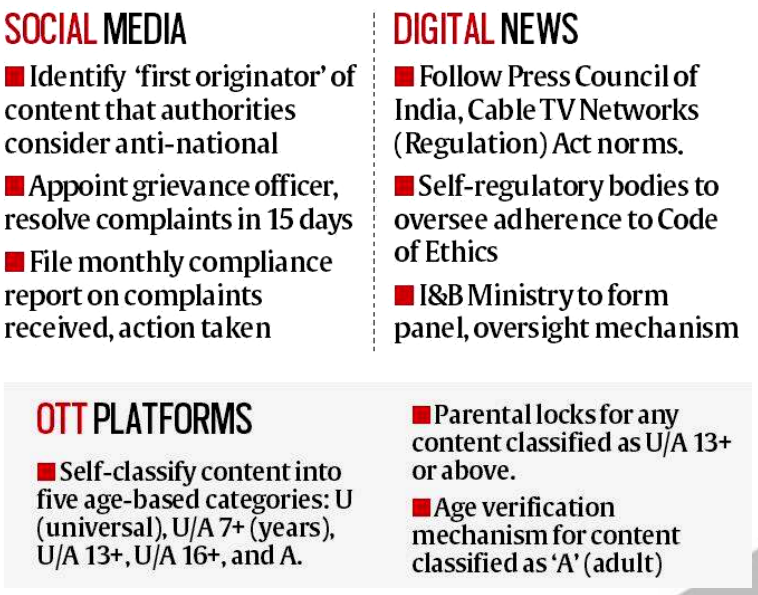

//

- **प्रमुख मुद्दे:**
  - नयिम कुछ मामलों में [आईटी अधनियिम, 2000 के तहत प्रत्यायोजति शक्तयिों से परे](#) जा सकते हैं, जैसे SSMI और ऑनलाइन प्रकाशकों के वनियिमन और कुछ मध्यस्थों को जानकारी के पहले प्रवर्तक की पहचान करने की आवश्यकता होती है।
  - ऑनलाइन सामग्री को प्रतबिंधति करने के आधार व्यापक हैं जो **अभवि्यक्तकि स्वतंत्रता को प्रभावति कर सकते हैं।**
  - मध्यस्थों के पास से सूचना प्राप्त करने के लयि कानून प्रवर्तन एजेंसयिों के पास **प्रक्रयिात्मक सुरक्षा उपाय** नहीं हैं।
  - इसके मंच पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करने के लयि संदेश सेवाओं की आवश्यकता [व्यक्तयिों की गोपनीयता](#) पर प्रतकिूल प्रभाव डाल सकती है।

वगित वर्ष के प्रश्न(PYQs):

प्रश्न. भारत में नम्निलखिति में से कसिके लयि साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिोर्ट करना कानूनी रूप से अनविार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाता
2. डेटा केंद्र
3. नगिमति नकिाय

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

व्याख्या:

- सूचना प्रौद्योगकिी अधनियिम, 2000 (आईटी अधनियिम) की धारा 70 बी के अनुसार, केंद्र सरकार को अधसिूचना द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतक्रियिा टीम (CERTIn) नामक एक एजेंसी को घटना की प्रतक्रियिा के लयि राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करने के लयि नयिुक्त करना चाहयि।
- केंद्र सरकार ने आईटी अधनियिम, 2000 की धारा 70 बी के अंतर्गत वर्ष 2014 में सीईआरटी-इन के नयिम स्थापति और अधसिूचति कयि। नयिम 12 (1) (A) के अनुसार, सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों, डेटा केंद्रों और कॉर्पोरेट नकिायों को साइबर सुरक्षा घटनाओं की उचति समय-सीमा के अंदर CERT-In को रपिोर्ट करना अनविार्य है। **अत: कथन 1, 2 और 3 सही हैं।**

अतः वकिल्प D सही है।

स्रोत: द हदिू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/proposal-of-appellate-committees-for-social-media-grievance